सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 232/2019 दायर दिनाँक 25.09.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी

दिनाँक 17.02.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खेत खसरा सं0 12 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 1.09 बीघा, खसरा सं0 345/16 रकबा 4.02 बीघा कुल रकबा 16.04 बीघा वाके सरहद रसीदपुरा में अवस्थित हैं

उक्त खेतों की खातेदारी की जमाबन्दी में सहवन से मालसिंह व श्रवणसिंह के पिता छोगसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज हो गई जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 01 के पिता का नाम सहवन से सोहनसिंह की जगह छोगसिंह दर्ज हो गया। जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 01 के पिता का सही नाम सोहनसिंह है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 के समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, ग्राम पंचायत रसीदपुरा का वारिसनामा, पेन कार्ड, बैंक की पास बुक आदि सभी दस्तावेजों में वादी व प्रतिवादी सं0 01 दोनों भाईयों के पिता का सही नाम सोहनसिंह है लेकिन गांव में सोहनसिंह को छोगसिंह के नाम से भी पुकारते थे। जिसकी पुष्टि वादी के पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र से भी होती है। जिसमें वादी के पिता का नाम छोगसिंह उर्फ सोहनसिंह दर्ज है। वादी अपने पिता के नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है। जिसका कि वो जायज अधिकारी है और इसलिए वादी को दावा बाबत अपने पिता के नाम की दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। समस्त दस्तावेजात की नकल वाद के साथ संलग्न है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 232/2019
दायर दिनाँक 25.09.2019, निर्णय दिनाँक 17.02.2020
मालसिंह बनाम श्रवणसिंह, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि खेत खसरा सं0 12 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 1.09 बीघा, खसरा सं0 345/16 रकबा 4.02 बीघा कुल रकबा 16.04 बीघा वाके सरहद रसीदपुरा की खातेदारी में वादी मालसिंह व प्रतिवादी श्रवणसिंह के पिता का गलत अंकन छोगसिंह की जगह सोहन सिंह किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, डीडवाना ने अपने पत्रांक रीडर/कोर्ट/19/25 दिनांक 18.12.2019 के द्वारा रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मालसिंह के पिता का नाम छोगसिंह उर्फ सोहनसिंह है। ग्राम में इनको छोग सिंह व सोहन सिंह दोनों ही नामों से जाना जाता है। जिस कारण राजस्व रेकर्ड में इनका नाम छोग सिंह अंकन हो गया जबकि अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम सोहन सिंह है। मालसिंह व श्रवणसिंह के पिता का नाम सोहन सिंह दर्ज किया जाना उचित है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार मालसिंह व श्रवणसिंह के पिता का नाम सोहन सिंह दर्ज किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री वाके सरहद रसीदपुरा के खेत खसरा सं0 12 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 1.09 बीघा, खसरा सं0 345/16 रकबा 4.02 बीघा कुल रकबा 16.04 बीघा में वादी मालसिंह व प्रतिवादी श्रवणसिंह के पिता का गलत अंकन छोगसिंह की जगह सोहन सिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **17.02..2020** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 232/2019 दायर दिनाँक 17.02.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. मालसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रवणसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी रसीदपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 2. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 17.02.2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा सरहद रसीदपुरा के खेत खसरा सं0 12 रकबा 10.13 बीघा, खसरा सं0 147 रकबा 1.09 बीघा, खसरा सं0 345/16 रकबा 4.02 बीघा कुल रकबा 16.04 बीघा में वादी मालसिंह व प्रतिवादी श्रवणसिंह के पिता का गलत अंकन छोगसिंह की जगह सोहन सिंह दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 17.02.2020 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2020.03.03 13:21:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: